

**अनुदान संख्या 60 – सूचना और प्रसारण मंत्रालय**  
**GRANT No. 60 - MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -  (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-	4058,61,00	3707,89,65	-350,71,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			316,51,79
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	12,62,00		
		21,10,00	21,09,00	-1,00
पूरक	Supplementary	8,48,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः—
1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2220" सूचना और प्रचार	Major Head "2220" Information and Publicity			
मू.	O.	97126.00		
		83934.55	82121.98	-1812.57
पु.	R.	-13191.45		
मुख्य शीर्ष "2221" प्रसारण	Major Head "2221" Broadcasting			
मू.	O.	292111.00		
		280403.00	279070.52	-1332.48
पु.	R.	-11708.00		

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत -
Total	Actual	Saving -
grant	expenditure	

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"	
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas	
मू.	O.	6324.00
पु.	R.	-6324.00

(I) ₹6504.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹6300.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के तहत –निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) "फिल्में – फिल्मों का निर्माण – विकास, संचार तथा फिल्म विषय-वस्तु का प्रसार" – ₹900.00 लाख;

(खा) "अन्य (सूचना एवं प्रचार) – विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार – विकास संचार तथा सूचना प्रसार" – ₹1900.00 लाख; और

(गा) "सामान्य (प्रसारण) – प्रसार भारती को अनुदान – प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास" – ₹3500.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा और शेष राशि अभ्यर्पित की गई।

(II) मुख्य शीर्ष "2220" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई:—

(I) Provision of ₹6504.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹6300.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – under the following heads :-

(A) "Films – Production of Films – Development, Communication and Dissemination of Filmic Content (DCDFC)" - ₹900.00 lakhs;

(B) "Others (Information and Publicity) – Advertising and Visual Publicity – Development Communication and Information Dissemination (DCID)" - ₹1900.00 lakhs; and

(C) "General (Broadcasting) – Grants to Prasar Bharati – Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND)" - ₹3500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/ funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2220" – savings occurred under the following heads:-

- (का) "फिल्म – फिल्मों का निर्माण" –
- (क) "फिल्म डिवीजन" – ₹802.93 लाख की बचत (₹5240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलनों के स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने, की जाने वाली कार्रवाई को पुनः प्राथमिकता देने और वेतन के लिए कम राशि की जरूरत के कारण हुई।
- (ख) "भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे" – ₹1580.77 लाख की बचत (₹5848.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना से संबंधित खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और कोविड-19 वैश्विक महामारी के फलस्वरूप वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय धीमी गति से किए जाने से संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण हुई।
- (ग) "विकास, संचार तथा फिल्म विषय-वस्तु का प्रसार" – ₹4423.82 लाख की बचत (₹10100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय धीमी गति से किए जाने से संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी, कोविड-19 महामारी के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय और बाल फिल्मों के न बनाए जाने और अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह तथा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह न होने के कारण हुई।
- (घ) "सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता" – ₹2430.00 लाख की बचत (₹8792.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और
- (खा) "अन्य" –
- (A) "Films - Production of Films"-
- (a) "Films Division" – saving of ₹802.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5240.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, re-prioritisation of activities undertaken and requirement of less funds towards salaries.
- (b) "Film and Television Institute of India, Pune" – saving of ₹1580.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5848.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure consequent upon COVID-19 pandemic.
- (c) "Development, Communication and Dissemination of Filmic Content (DCDFC)" - saving of ₹4423.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10100.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure consequent upon COVID-19 pandemic, non-production of regional and children's films related to North Eastern States and non-occurrence of International Children's Film Festival and Mumbai International Film Festival owing to COVID-19 pandemic;
- (d) "Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata" – saving of ₹2430.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8792.00 lakhs); and
- (B) "Others"-

(क) "रोजगार समाचार – रोजगार समाचार सेवाएं"— ₹706.86 लाख की बचत (₹1418.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(a) "Employment News – Employment News Services" – saving of ₹706.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1418.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत बचतें कोविड-19 वैश्विक महामारी के फलस्वरूप वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय धीमी गति से किए जाने से संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure consequent upon COVID-19 pandemic.

(ख) "जन संचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण – भारतीय जन संचार संस्थान" – ₹3784.85 लाख की बचत (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना से संबंधित खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और कोविड-19 वैश्विक महामारी के फलस्वरूप वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय धीमी गति से किए जाने से संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण हुई।

(b) "Research and Training in Mass Communication - Indian Institute of Mass Communication" - saving of ₹3784.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure consequent upon COVID-19 pandemic.

(ग) "विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार – ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन (बीओसी)"— ₹2650.96 लाख की बचत (₹18853.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी, किए गए कार्यों को पुनः प्राथमिकता दिए जाने और वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(c) "Advertising and Visual Publicity – Bureau of Outreach and Communication(BOC)"- saving of ₹2650.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18853.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, re-prioritisation of activities undertaken and requirement of less funds towards salaries

(घ) "प्रेस सूचना सेवाएं – अन्य मदें" – ₹815.50 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 वैश्विक महामारी के फलस्वरूप वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय धीमी गति से किए जाने से संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी और रिक्त पदों के न भरे जाने कारण हुई।

(d) "Press Information Services – Other Items" – saving of ₹815.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure consequent upon COVID-19 pandemic and non-filling up of vacant posts.

(III) मुख्य शीर्ष "2221" – "सामान्य – प्रसार भारती को अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं:—

(III) Under Major Head "2221" – "General – Grants to Prasar Bharati" - savings occurred under the following heads: -

(का) “प्रसार भारती” – ₹1108.41 लाख की बचत (₹264011.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 वैश्विक महामारी के फलस्वरूप वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय धीमी गति से किए जाने से संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण हुई।

(खा) “प्रसार अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)” – ₹11932.07 लाख की बचत (₹28100.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 वैश्विक महामारी के फलस्वरूप वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय धीमी गति से किए जाने से संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत किसी परियोजना के गैर-कार्य निष्पादन के कारण हुई।

(IV) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1418.33 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 97 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें आंशिक तौर पर मुख्य शीर्ष “2220” – अन्य – विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार – विकास संचार तथा सूचना प्रसार” द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई – ₹4221.11 लाख का अधिक व्यय (₹16900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य मंत्रालयों/विभागों की ओर से चलाए गए अभियान के लिए बकाया बिलों के निपटान और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों की उपयोगिता हेतु मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण हुआ।

(A) “Prasar Bharati” – saving of ₹1108.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹264011.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure consequent upon COVID-19 pandemic.

(B) “Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND)” – saving of ₹11932.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28100.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure consequent upon COVID-19 pandemic and non-execution of any projects under North Eastern Region.

(IV) Under four heads savings of ₹1418.33 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 19 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head “2220”- “Others – Advertising and Visual Publicity – Development Communication and Information Dissemination (DCID)” – excess of ₹4221.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16900.00 lakhs) was due to settlement of pending bills for the campaigns carried out on behalf of other Ministries/Departments and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.